भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3810

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 मार्च, 2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय वाद नीति

3810. श्री संजय सेठ :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय वाद नीति बनाने का विचार है क्योंकि देश में मुकदमेबाजी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए कदम उठाए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उक्त कदमों के क्या परिणाम रहे ;

(ङ) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त मामलों की संख्या में कमी आई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी, हां । सरकार की नीति और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, मुकद्मेबाजी को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए, मार्गदर्शी सिद्धांत अधिकथित करने के उद्देश्य से, संसक्तिशील और संगठित रीति में, मुकद्मा नीति तैयार किए जाने का पहले से ही प्रस्ताव है ।

(ग) : मुकद्मे कम करने के उद्देश्य से, रेल और राजस्व विभाग जैसे मंत्रालय और विभाग, जिनमें मुकद्मों की अधिक संख्या है, न्यायालय मामलों की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न उपाय करते रहे हैं । रेल मंत्रालय ने सभी स्तरों पर न्यायालय मामलों

की प्रभावी मानीटरी के लिए अनुदेश जारी किए हैं । आंचलिक रेल और उत्पादन इकाइयों से यह कहा गया है कि उन मामलों की संख्या को कम करने के लिए जिनमें सरकार एक पक्षकार है और शीघ्र ही न्यायालयों के बोझ को कम करने में सभी न्यायालयों में सभी मामलों को शीघ्रतया अंतिम रुप देने और न्यायालय मामलों को लड़ने में खर्च में कटौती करने के लिए प्रभावी कदम उठाए । इसको प्राप्त करने के लिए अधिवक्ताओं को समय पर उत्तर, प्रत्युत्तर तथा आवश्यक दस्तावेज प्रतिप्रस्तुति के अलावा उच्च स्तर पर ब्रीफिंग तथा दिए जाने वाले आवश्यक निर्देशों के लिए, पैनलीकृत अधिवक्ताओं के साथ नियमित बैठकें करके मामलों की प्रभावी मॉनीटरी पर जोर दिया गया है ।

राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने भारी संख्या में अनुदेश जारी किए हैं और न्यायालयों पर मुकद्मेबाजी को तथा उसके पारिणामिक भार को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं । जबकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्षेत्र अधिकारियों को यह निदेश देते हुए परिपत्र जारी किए हैं कि आय-कर अपील अधिकरणों/उच्च न्यायालयों/ उच्चतम न्यायालय के समक्ष की गई विनिर्दिष्ट सीमा से कम की कर प्रभाव वाली लंबित अपीलों को वापस लिया जाए/उन पर कार्रवाई न की जाए और प्रक्रिया में उच्च मांग वाली मुकद्मेबाजी पर बेहतर और सम्मिलित संकेंद्रण को सुकर बनाया जाए । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्षेत्र अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया है कि अपीलें मात्र इस कारण से फाइल नहीं की जानी चाहिए कि किसी विशिष्ट मामले में कर प्रभाव विहित मौद्रिक सीमाओं से अधिक है, और अपील फाइल किए जाने का विनिश्चय सर्वथा मामले के गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन क्षेत्र विरचनाओं को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे उच्च न्यायालयों/सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण में लंबित अपीलों को वहां वापस ले लें, जहां उच्चतम न्यायालय ने समरूप विषय पर विनिश्चय किया है । इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड ने अपनी क्षेत्र विरचनाओं को यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि वे अपील में वहां और प्रतिवाद न करें, जहां अपीलों के दो प्रक्रमों में मुद्दे को हार गए हैं । तथापि, यह विनिश्चय किया गया है कि उन मामलों में, जहां यह महसूस किया गया है कि मुद्दा आगे अपील करने के लिए उपयुक्त है, वहां उचित औचित्य पर और क्षेत्रीय मुख्य आयुक्त के अनुमोदन पर, तीसरी बार अपील फाइल की जा सकती है । क्षेत्र विरचनाओं को, केवल उन विशेष इजाजत याचिका प्रस्तावों को वहां अग्रेषित करने के लिए भी अनुदेश दिए गए हैं, जहां मुद्दे में विधि का सारवान् प्रश्न या घोर दुराग्रह या साक्ष्य के मूल्यांकन में अवैधता अंतर्वलित है ।

इस दिशा में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, दोनों ने अपील फाइल करने की मौद्रिक अवसीमा को भी बढ़ाया है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :--

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अपील फाइल करने के लिए	**मौद्रिक सीमा**
आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष	50 लाख रुपए
उच्च न्यायालय के समक्ष	1 करोड़ रुपए
उच्चतम न्यायालय के समक्ष	2 करोड़ रुपए

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

निम्नलिखित के समक्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित मामलों में अपीलें फाइल करने के लिए मौद्रिक सीमाएं			निम्नलिखित के समक्ष सीमा शुल्क से संबंधित मामलों में अपीलें फाइल करने के लिए मौद्रिक सीमाएं		
सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष	उच्च न्यायालय के समक्ष	उच्चतम न्यायालय के समक्ष	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष	उच्च न्यायालय के समक्ष	उच्चतम न्यायालय के समक्ष
50 लाख रुपए	1 करोड़ रुपए	2 करोड़ रुपए	5 लाख रुपए	10 लाख रुपए	25 लाख रुपए

सरकार ने वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से सबका विश्वास (वसीयत संपदा विवाद समाधान) स्कीम, 2019 आरंभ की, जिसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा 1 सितंबर, 2019 से प्रवर्तन के लिए अधिसूचित किया गया । सबका विश्वास (वसीयत संपदा विवाद समाधान) स्कीम एक समाधान-सह-सर्वक्षमा स्कीम थी और इस स्कीम का एक मुख्य उद्देश्य विभिन्न अप्रत्यक्ष कर अधिनियमितियों, जो माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 में सम्मिलित की गई हैं, में मुकद्मेबाजी को कम करना था ।

अंतर-मंत्रालयी/विभागीय विवादों के समाधान के लिए वैकल्पिक क्रियाविधि, ऐसे विवादों के समाधान के लिए एक सांस्थानिक क्रियाविधि का भी उपबंध करती है, अर्थात् विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक क्रियाविधि । इसे विधि कार्य विभाग द्वारा विरचित किया गया तथा कार्यालय आदेश, तारीख 31.03.2020 द्वारा परिचालित किया गया । कराधान विवादों से भिन्न विवादों को लागू यह क्रियाविधि, न्यायालयों में मुकद्मों को कम करेगी तथा न्यायालय प्रणाली के बाहर मामलों को सुलझाएगी, जहां दोनों

पक्षकार सरकारी विभाग हैं या जहां एक पक्षकार सरकारी विभाग है और अन्य इसका सहायक है (सीपीएसईएस/बोर्ड/प्राधिकरण आदि) ।

परस्पर केंद्रीय लोक सेक्टर उपक्रमों और केंद्रीय लोक सेक्टर उपक्रमों तथा सरकारी विभागों/संगठनों के बीच वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए पूर्ववर्ती 'माध्यस्थम की स्थायी मशीनरी' के स्थान पर, लोक उपक्रम विभाग द्वारा तैयार की गई "केंद्रीय लोक सेक्टर उपक्रम विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक क्रियाविधि" नामक एक नई स्कीम, 22.05.2018 से प्रभावी की गई है ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्व सांस्थानिक मध्यकता और समझौता क्रियाविधि (पीआईएमएस) का उपबंध करने के लिए, 2018 में संशोधित किया गया था । इस क्रियाविधि के अधीन किसी पक्षकार को, जो 3 लाख रुपए और उससे अधिक के विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की विषयवस्तु में किसी तुरंत अंतरिम अनुतोष का आशय नहीं रखता है, न्यायालय पहुंचने के पूर्व, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकारियों द्वारा संचालित पीआईएमएस के उपचार को पहले प्रयुक्त करना होगा ।

इसके अतिरिक्त, मध्यकता की वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि के माध्यम से न्यायालय प्रणाली के बाहर विवादों के त्वरित निपटारे को सुकर बनाने के लिए, मध्यकता विधेयक, 2021 राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, पक्षकारों द्वारा मुकद्मापूर्व मध्यकता का उपबंध करता है ।

(घ) : दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, न्याय विभाग ने बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण और निपटारे के लिए 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन किया है । यह स्कीम, जो मूल रूप से एक वर्ष के लिए आरंभ की गई थी, दो और वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2021-22 और 2022-23 के लिए आगे जारी रखी गई है । यह एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) है, जो अक्तूबर, 2019 में आरंभ की गई । 28.02.2022 तक, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (गोवा को अभी एफटीएससी प्रचालित करना है, पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा अरुणाचल प्रदेश अभी तक इस स्कीम में सम्मिलित नहीं हुए हैं) 712 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिनमें 399 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने फरवरी, 2022 तक 81400 से अधिक मामले निपटाए हैं और 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एफटीएससी में 1.86 लाख मामले लंबित हैं ।

अपीलें फाइल करने के लिए सीमांत धनीय सीमा के संबंध में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड के निदेश एफ. सं. 390/प्रकीर्ण/116/2017-जेसी तारीख 22.08.2019 के परिणामस्वरूप, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क

और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष अपीलों को वापस लेने की प्रास्थिति निम्नानुसार है :--

मंच	वापस लेने के लिए फाइल किए गए आवेदन	वापस लिए गए	वापस लेने के लिए प्रतीक्षित आदेश
उच्चतम न्यायालय	218	154	64
उच्च न्यायालय	824	666	158
सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण	2240	2003	237

सबका विश्वास (वसीयत संपदा विवाद समाधान) स्कीम, 2019 में 'मुकद्मा प्रवर्ग' के अधीन जारी निर्मुक्ति प्रमाणपत्र (एसवीएलडीआरएस-4) के ब्यौरे निम्नानुसार है :--

	आवेदनों की संख्या
एसवीएलडीआरएस प्रणाली एप्लीकेशन द्वारा जारी निर्मुक्ति प्रमाणपत्र	51,712
हस्तचालित रूप से जारी निर्मुक्ति प्रमाणपत्र	18
योग	**57,730**

(ङ) : जी हां ।

(च) : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण में पिछले 2 वर्षों के दौरान, क्षेत्रवार लंबित मामलों के ब्यौरे **उपाबंध** में हैं ।

"राष्ट्रीय वाद नीति" से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 3810, जिसका उत्तर 25.03.2022 को दिया जाना है, का उपाबंध

क्षेत्रवार लंबित अपीलें
उच्चतम न्यायालय

						(रुपए करोड़ में)	
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**01.04.2020 को अंत शेष**		**01.04.2021 को अंत शेष**		**01.01.2022 को अंत शेष**	
		संख्या	**रकम**	**संख्या**	**रकम**	**संख्या**	**रकम**
1	अहमदाबाद सीई एंड जीएसटी	111	412.38	101	466.42	104	603.33
2	बंगलौर सीई एंड जीएसटी	110	472.72	96	457.12	95	890.53
3	भोपाल सीई एंड जीएसटी	171	1059.39	143	1361.60	141	1452.04
4	भुवनेश्वर सीई एंड जीएसटी	36	73.57	40	73.57	40	73.57
5	चंडीगढ़ सीई एंड जीएसटी	105	803.39	99	881.06	100	884.81
6	चैन्नई सीई एंड जीएसटी	245	1507.46	238	1515.32	200	1937.56
7	दिल्ली सीई एंड जीएसटी	178	2491.37	192	3957.97	189	3953.96
8	गुवाहाटी सीई एंड जीएसटी	106	145.79	24	146.48	25	150.12
9	हैदराबाद सीई एंड जीएसटी	138	2340.57	127	2615.54	123	2603.44
10	जयपुर सीई एंड जीएसटी	168	398.99	117	397.89	112	518.38
11	कोलकाता सीई एंड जीएसटी	53	420.64	48	899.75	45	788.63
12	लखनऊ सीई एंड जीएसटी	35	2870.29	27	2878.00	28	2878.46
13	मेरठ सीई एंड जीएसटी	129	815.01	113	844.41	106	829.81
14	मुम्बई सीई एंड जीएसटी	197	9686.03	199	10541.47	199	11155.16
15	नागपुर सीई एंड जीएसटी	50	875.30	40	632.91	37	693.05
16	पंचकुला सीई एंड जीएसटी	92	1034.29	142	1162.69	131	1886.60
17	पुणे सीई एंड जीएसटी	66	1856.40	67	2625.54	68	2904.73
18	रांची सीई एंड जीएसटी	38	609.38	38	611.78	36	606.32
19	तिरुवनंतपुरम सीई एंड जीएसटी	126	356.40	102	352.28	103	333.25
20	वडोदरा सीई एंड जीएसटी	118	3163.13	122	3295.08	128	3205.21
21	विशाखापट्टनम सीई एंड जीएसटी	94	1201.87	99	1233.90	105	1319.89
22	अहमदाबाद सीयूएस	163	412.88	175	466.56	190	485.84
23	बंगलौर सीयूएस	63	975.97	63	978.26	64	1002.32
24	चैन्नई सीयूएस	91	1129.28	101	1443.29	99	1441.32
25	दिल्ली क्षेत्र सीयूएस	128	611.23	139	850.31	147	855.84
26	दिल्ली पीआरईवी	56	34.58	59	36.86	60	25.35
27	कोलकाता सीयूएस	26	83.91	31	83.86	31	83.86
28	मुम्बई-I सीयूएस	104	140.88	105	167.84	95	162.79
29	मुम्बई-II सीयूएस	32	375.87	41	639.21	41	639.22
30	मुम्बई-III सीयूएस	35	456.88	37	487.36	45	492.33
31	पटना पीआरईवी	10	2.45	11	14.79	15	17.83
32	तिरुचिरापल्ली पीआरईवी	18	414.01	21	418.40	21	418.40
	योग	**3092**	**37232.29**	**2957**	**42537.53**	**2923**	**45293.92**

लंबित अपीलें
उच्च न्यायालय

						(रुपए करोड़ में)	
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**01.04.2020 को अंत शेष**		**01.04.2021 को अंत शेष**		**01.01.2022 को अंत शेष**	
		संख्या	**रकम**	**संख्या**	**रकम**	**संख्या**	**रकम**
1	अहमदाबाद सीई एंड जीएसटी	447	2110.39	483	2334.36	502	2577.14
2	बंगलौर सीई एंड जीएसटी	216	3502.46	248	6688.22	288	7138.90
3	भोपाल सीई एंड जीएसटी	398	1102.69	382	1336.91	437	1692.69
4	भुवनेश्वर सीई एंड जीएसटी	370	2620.46	372	2910.60	386	3045.29
5	चंडीगढ़ सीई एंड जीएसटी	455	796.78	947	1333.79	1502	1691.70
6	चैन्नई सीई एंड जीएसटी	1274	3264.33	1288	3260.81	1175	2994.39
7	दिल्ली सीई एंड जीएसटी	161	726.53	171	787.71	156	3441.92
8	गुवाहाटी सीई एंड जीएसटी	162	286.19	230	780.70	245	871.15
9	हैदराबाद सीई एंड जीएसटी	817	2596.82	975	2817.78	807	2637.89
10	जयपुर सीई एंड जीएसटी	468	1088.39	470	1265.36	508	1370.59
11	कोलकाता सीई एंड जीएसटी	728	3646.88	819	4099.73	777	5330.53
12	लखनऊ सीई एंड जीएसटी	198	988.26	230	1393.39	215	1573.84
13	मेरठ सीई एंड जीएसटी	332	1471.17	337	1702.59	296	1716.78
14	मुम्बई सीई एंड जीएसटी	687	8210.84	853	11421.39	936	11419.89
15	नागपुर सीई एंड जीएसटी	294	1284.52	295	1293.37	269	1291.47
16	पंचकुला सीई एंड जीएसटी	162	989.64	273	1798.77	150	1119.21
17	पुणे सीई एंड जीएसटी	251	1350.55	262	1396.22	296	1794.37
18	रांची सीई एंड जीएसटी	267	1085.72	277	1535.50	307	1609.52
19	तिरुवनंतपुरम सीई एंड जीएसटी	919	501.27	938	1737.11	961	1850.49
20	वडोदरा सीई एंड जीएसटी	321	2019.82	398	2034.23	386	2080.74
21	विशाखापट्टनम सीई एंड जीएसटी	1327	6126.19	702	6374.39	714	7741.57
22	अहमदाबाद सीयूएस	852	1946.32	859	1997.56	935	2017.11
23	बंगलौर सीयूएस	111	100.27	103	124.38	120	134.52
24	चैन्नई सीयूएस	724	1828.64	661	1943.49	601	1880.82
25	दिल्ली क्षेत्र सीयूएस	421	678.71	562	923.48	621	1065.73
26	दिल्ली पीआरईवी	391	135.35	424	147.76	473	154.34
27	कोलकाता सीयूएस	564	1183.40	649	1406.70	743	4059.27
28	मुम्बई-I सीयूएस	173	842.93	193	800.33	217	748.79
29	मुम्बई-II सीयूएस	173	224.05	221	245.60	263	1428.69
30	मुम्बई-III सीयूएस	168	378.08	201	670.90	243	715.75
31	पटना पीआरईवी	248	70.35	296	79.63	294	80.38
32	तिरुचिरापल्ली पीआरईवी	531	175.72	537	187.04	544	215.61
	योग	**14610**	**53333.72**	**15656**	**66829.79**	**16367**	**77491.08**

लंबित अपीलें

सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण

						(रुपए करोड़ में)	
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**01.04.2020 को अंत शेष**		**01.04.2021 को अंत शेष**		**01.01.2022 को अंत शेष**	
		संख्या	**रकम**	**संख्या**	**रकम**	**संख्या**	**रकम**
1	अहमदाबाद सीई एंड जीएसटी	4050	5198.31	3374	5387.17	3007	5819.39
2	बंगलौर सीई एंड जीएसटी	4298	18501.55	3746	14805.39	3693	14789.92
3	भोपाल सीई एंड जीएसटी	1152	3330.21	1157	3537.35	1111	3580.66
4	भुवनेश्वर सीई एंड जीएसटी	1442	9739.23	1391	10482.19	1295	11530.06
5	चंडीगढ़ सीई एंड जीएसटी	1886	2770.06	1597	2566.00	1652	2711.12
6	चैन्नई सीई एंड जीएसटी	5533	8709.32	4237	8037.38	3875	7986.33
7	दिल्ली सीई एंड जीएसटी	734	8297.20	482	7226.98	548	10002.04
8	गुवाहाटी सीई एंड जीएसटी	908	1578.52	899	2031.69	886	2031.40
9	हैदराबाद सीई एंड जीएसटी	2293	11454.61	2017	11503.63	2003	11808.56
10	जयपुर सीई एंड जीएसटी	1750	3429.36	1894	2943.50	1798	3111.77
11	कोलकाता सीई एंड जीएसटी	4817	12992.58	4687	15411.73	4471	15357.24
12	लखनऊ सीई एंड जीएसटी	577	2142.31	461	2215.20	436	2158.05
13	मेरठ सीई एंड जीएसटी	1135	3115.74	896	3357.70	812	3860.79
14	मुम्बई सीई एंड जीएसटी	5168	33132.39	4879	35261.65	4465	35513.41
15	नागपुर सीई एंड जीएसटी	3056	5209.86	2942	5390.75	2466	4297.13
16	पंचकुला सीई एंड जीएसटी	1116	10778.01	1024	9297.21	1037	10440.81
17	पुणे सीई एंड जीएसटी	2359	15533.73	1958	14200.40	2024	14929.79
18	रांची सीई एंड जीएसटी	1470	14009.05	1495	13948.34	1466	13209.00
19	तिरुवनंतपुरम सीई एंड जीएसटी	1975	3129.90	1878	3089.64	2381	3281.73
20	वडोदरा सीई एंड जीएसटी	3029	11032.98	2699	10801.95	2816	12528.23
21	विशाखापट्टनम सीई एंड जीएसटी	1939	4501.08	1950	3870.96	2069	4084.51
22	अहमदाबाद सीयूएस	2378	2194.88	2376	2186.43	2606	2630.59
23	बंगलौर सीयूएस	683	4537.26	651	4364.95	658	4206.19
24	चैन्नई सीयूएस	1746	2229.77	1955	2774.40	2041	3147.52
25	दिल्ली क्षेत्र सीयूएस	1009	765.92	959	787.28	1077	1165.58
26	दिल्ली पीआरईवी	332	142.17	500	246.73	536	832.31
27	कोलकाता सीयूएस	1648	1588.77	1751	1745.96	1818	1739.21
28	मुम्बई-I सीयूएस	775	671.64	718	725.34	764	705.27
29	मुम्बई-II सीयूएस	1562	753.02	1466	675.15	1440	737.90
30	मुम्बई-III सीयूएस	1054	2024.04	1105	2052.01	1321	2189.64
31	पटना पीआरईवी	131	27.29	146	30.73	165	32.18
32	तिरुचिरापल्ली पीआरईवी	736	615.26	767	645.50	821	759.01
	योग	**62741**	**204136.05**	**58057**	**201601.28**	**57558**	**211177.34**

लंबित अपीलें

आयुक्त (अपील)

						(रुपए करोड़ में)	
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**01.04.2020 को अंत शेष**		**01.04.2021 को अंत शेष**		**01.01.2022 को अंत शेष**	
		संख्या	**रकम**	**संख्या**	**रकम**	**संख्या**	**रकम**
1	अहमदाबाद सीई एंड जीएसटी	406	243.76	609	426.64	1031	423.94
2	बंगलौर सीई एंड जीएसटी	1281	818.54	959	650.55	1183	752.55
3	भोपाल सीई एंड जीएसटी	136	84.12	182	68.06	255	114.55
4	भुवनेश्वर सीई एंड जीएसटी	925	1183.67	750	1111.44	817	742.13
5	चंडीगढ़ सीई एंड जीएसटी	2711	533.34	1679	410.74	923	301.68
6	चैन्नई सीई एंड जीएसटी	290	198.42	193	164.61	446	286.28
7	दिल्ली सीई एंड जीएसटी	170	400.46	117	99.00	125	108.48
8	गुवाहाटी सीई एंड जीएसटी	117	131.80	100	36.89	97	381.87
9	हैदराबाद सीई एंड जीएसटी	115	73.94	134	80.41	458	220.08
10	जयपुर सीई एंड जीएसटी	913	332.57	786	145.69	746	152.51
11	कोलकाता सीई एंड जीएसटी	2062	663.81	1769	602.84	1265	578.61
12	लखनऊ सीई एंड जीएसटी	200	42.63	147	56.62	314	105.09
13	मेरठ सीई एंड जीएसटी	1281	790.44	774	485.71	406	489.79
14	मुम्बई सीई एंड जीएसटी	625	772.18	249	472.05	791	676.73
15	नागपुर सीई एंड जीएसटी	195	97.20	221	54.99	261	225.80
16	पंचकुला सीई एंड जीएसटी	218	104.58	178	98.20	98	62.61
17	पुणे सीई एंड जीएसटी	394	167.97	283	161.79	373	146.23
18	रांची सीई एंड जीएसटी	368	236.27	326	225.24	312	201.03
19	तिरुवनंतपुरम सीई एंड जीएसटी	2313	775.60	1644	562.85	2018	616.64
20	वडोदरा सीई एंड जीएसटी	524	166.92	489	151.78	483	154.59
21	विशाखापट्टनम सीई एंड जीएसटी	274	111.52	213	55.28	367	106.83
22	अहमदाबाद सीयूएस	786	149.99	1551	254.88	1626	229.70
23	बंगलौर सीयूएस	178	25.61	247	133.77	193	73.16
24	चैन्नई सीयूएस	526	164.21	536	146.56	1067	814.86
25	दिल्ली क्षेत्र सीयूएस	4443	115.61	5216	108.24	6263	109.60
26	दिल्ली पीआरईवी	650	124.66	716	49.73	511	42.67
27	कोलकाता सीयूएस	587	134.75	641	107.17	649	137.38
28	मुम्बई-I सीयूएस	282	43.55	283	166.38	307	162.15
29	मुम्बई-II सीयूएस	689	33.45	1439	32.70	1868	106.19
30	मुम्बई-III सीयूएस	1009	30.74	1120	218.59	1703	271.14
31	पटना पीआरईवी	48	3.23	43	7.58	46	19.17
32	तिरुचिरापल्ली पीआरईवी	247	19.23	226	30.89	311	55.79
	योग	**24963**	**8774.78**	**23820**	**7377.85**	**27313**	**8869.84**

****